अतिमहत्वपूर्ण

संख्या-997/नौ-7-17-27ज./2004टी0सी0

प्रेषक,

कुमार कमलेश,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ.प्र., लखनऊ।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-7 लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2017

विषयः **प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए लू से बचाव एवं पेयजल व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत हैं कि ग्रीष्म ऋतु प्रारम्भ हो चुका है। ग्रीष्म ऋतु में पेयजल की व्यवस्था किया जाना एवं लू से बचाव का उपाय किया जाना अति आवश्यक है। उक्त के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दुओ पर अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने के निर्देश दिए गए हैः-

1. ग्रीष्म ऋतु एवं लू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए पेयजल आपूर्ति के लिए विशेष अभियान चलाकर नगरीय क्षेत्र के समस्त ट्यूबवेल चालू हालत में रखे गये तथा बन्द पड़े ट्यूबवेलों को ठीक कराकर चालू किया जाए। पेयजल की विभिन्न योजनाओं की जल निगम, जल संस्थान एवं विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर उन्हें पूर्ण कराया जाए जिससे योजनाएं क्रियाशील हो सकें व उनका लाभ जन सामान्य को प्राप्त हो सकें। ऐसे ट्यूबवेल जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका हो और विद्युत संयोजन न हो पाने के कारण नलकूप चालू न हो सके हो, उन्हें चिन्हित कर तत्काल विद्युत संयोजन प्राप्त कर चालू कराया जाए। पेयजल के सभी स्रोतों/संसाधनों की उचित मरम्मत एवं पूर्ण सहयोग हेतु तैयार कर लिया जाए तथा पेयजल के कुओं को आवश्यकतानुसार गहरा करा दिया जाए।
2. क्षतिग्रस्त पाइप लाइन व लीकेज को ठीक कराकर स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाए।
3. समस्त हैण्डपम्प चालू अवस्था में रखे जाए और यदि रिबोर की आवश्यकता हो तो नियमानुसार रिबोर कराते हुए जन सामान्य को पेयजल सुलभ कराया जाए।
4. लू एवं ग्रीष्म ऋतु से बचाव हेतु शहरों-बाजारों मे नगरीय निकायों के माध्यम से प्याऊ लगवाये जाए। इस कार्य में गैर सरकारी संगठनों (एन0जी0ओ0) का सहयोग लिया जा सकता है।
5. पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग के नालों/नल कूपों/निजी नल कूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों को भरवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
6. जल जनित रोगों के नियंत्रण हेतु पेयजल के नियमित क्लोरिनेशन तथा ओवरहेड टेंक की सफाई की जाए।

so.nagarvikas@gmail.com 2017

7. आगामी ग्रीष्म ऋतु में लू चलने की सम्भावना के दृष्टिगत निकाय क्षेत्रों में स्थित सेल्टर होम्स को पूर्ण क्षमता के साथ संचालित किया जाए। संचालित सेल्टर होम्स का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए जिससे जन साधारण लाभ प्राप्त कर सकें।

8. ग्रीष्म ऋतु एवं लू से बचाव हेतु दीर्घकालिक उपायों के दृष्टिगत निकाय क्षेत्र में रिक्त पड़ी भूमि पर आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण की कार्यवाही की जाएं।

9. लू से बचाव हेतु जनपद एवं नागर निकाय स्तर पर कार्य योजना तैयार की जाएं।

2. उक्त निर्देश के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के नागर निकायों में ग्रीष्म ऋतु एवं लू से बचाव हेतु उपरोक्त कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(कुमार कमलेश)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, राजस्व एवं राहत आयुक्त, उ.प्र. शासन को उनके पत्र संख्या-149(1)/1-11-2017-2(जी0)/2017, दिनांक-11.04.2017 के क्रम में।
2. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ.प्र.।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ.प्र. जल निगम, लखनऊ।
4. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0 द्वारा संबंधित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
7. नगर विकास अनुभाग-5/9।
8. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को विभागीय वेब-साइट पर अपलोड करने हेतु।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
विशेष सचिव।